



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 251]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 15, 2005/फाल्गुन 24, 1926

No. 251]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 15, 2005/PHALGUNA 24, 1926

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(एन आई-II अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मार्च, 2005

का.आ. 317(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहुनिःशक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 (1999 का 44) की धारा 3 की उप-धारा (4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 9 दिसम्बर, 2003 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1421(अ) में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है।

उक्त अधिसूचना में, क्रम सं. 6 से संबंधित प्रविष्टियों को निम्नलिखित ढंग से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

श्रीमती मैरी बरुवा — सदस्य  
स्वपरायणता के लिए कार्रवाई  
नई दिल्ली

2. श्रीमती मैरी बरुवा 3 वर्ष की अवधि के लिए अथवा उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति होने तक जो भी अधिक हो, तक बोर्ड के पद को धारित करेंगी।

[फा. सं. 1-3/99-एन आई-II]

जयति चन्द्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पणी :—दिनांक 9 दिसम्बर, 2003 की अधिसूचना सं. 1421(अ) भारत के राजपत्र, (असाधारण) भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में दिनांक 15 दिसम्बर, 2003 के सं. 1111 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND  
EMPOWERMENT

(NI-II Section)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th March, 2005

S.O. 317(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 3 of the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999 (44 of 1999) the Central Government hereby make the following amendments to the notification number S.O. 1421(E) dated 9th December, 2003.

In the said notification, the entries relating to serial No. 6 shall be substituted as follows :

Mrs. Merry Barua — Member  
Action for Autism,  
New Delhi

2. Smt. Merry Barua shall hold office of the Board for a period of 3 years or till her successor is appointed, whichever is longer.

[F. No. 1-3/99-NI-II]

JAYATI CHANDRA, Jt. Secy.

Note : The notification No. 1421(E) dated 9th December, 2003 was published in Gazette of India (Extraordinary) Part II, Section 3, Sub-section, (ii) vide No. 1111 dated 15th December, 2003.